न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः— रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 228 / 2023

वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए

1. जगदीश पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी भाखरांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी भाखरांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :—

1— श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादी

2— श्री गुरमीत सिंह कलसी— वकील प्रति सं. 1

निर्णय दिनांक :—

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 4 एसटीपी के खाता सं. 142 / 100 खाता सुरजाराम ज.स. 2070—73 में 2.277 है.आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के उक्त खाता की जमाबन्दी संलग्न है। कि दावा की दफा 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी उनके वारिसान वादी की जद्दी जायदाद है। जिसमें वादी का जन्म से ही ब.हि.ब का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। प्रति सं. 1 ने अपने नाम दर्ज आराजी में सें 1.012 है. आराजी का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। उक्त चक 4 एसटीपी के खाता सं.142 / 100 खाता सुरजाराम ज.स. 2070—73 में प्रति सं. 1 के नाम दर्ज 2.277 है. आराजी में से 1.012 है.आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति. सं.1 का हिस्सा कम किया जावे। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादी प्राप्त करने का अधिकारी एंव दावेदार है। कि वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादी को दावा दफा 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से

अंकन अलग कायम करवा देवे तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त में पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादी के इस निवदेन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वाद कारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 सुरजाराम ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा के साथ अपनी आईडी की चित्रप्रति स्वहस्ताक्षरित पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी जगदीश ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया। वकील वादी एवं प्रतिवादी ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ साक्ष्य में चक 4 एसटीपी खाता संख्या 142/100 ज.स. 2070–2073 एवं इसी चक के खाता संख्या 34/36 ज.स. 2050 की जमाबन्दीयों की फोटोप्रतियॉ पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 4 एसटीपी खाता संख्या 142/100 खाता सुरजाराम जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में 2.277 हैक्ट. कृषि भूमि सुरजाराम के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 4 एसटीपी की जमाबन्दी प्रदर्श करवाई गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी 1 पिता/पुत्र है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श 1 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है जो प्रदर्श 2 से पैतृक साबित है। प्रतिवादीगण 1 ने हाजिर आकर सहमति का जवाब दावा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। वादी एवं प्रतिवादी ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत सहमति के जवाबदावा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :– प्रतिवादी सं. 1 सुरजाराम के नाम दर्ज चक नं. 4 एसटीपी खाता सं. 142/100 खाता सुरजाराम जं.सं. 2070–2073 में 2.277 है. कृषि भूमि मे से वादी जगदीश को 1.012 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 सुरजाराम का उक्तानुसार हिस्सा कम किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 26.07.को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 228 / 2023

1. जगदीश पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी भाखरांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

1 सुरजाराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी भाखरांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री गुरमीत सिह कलसी वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 सुरजाराम के नाम दर्ज चक नं. 4 एसटीपी खाता सं. 142 / 100 खाता सुरजाराम जं.सं. 2070–2073 में 2.277 है. कृषि भूमि मे से वादी जगदीश को 1.012 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 सुरजाराम का उक्तानुसार हिस्सा कम किया जावे।

नोट :– उक्त आराजी ऋण मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26.07.2023 को जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official